फर्द अहकाम

[नियम 26]

1/15
23/2/22

अदालत उपखण्ड अधिकारी, अलवर मुकाम अलवर

आसिम खाँ बनाम सरकार

नाम मुकदमा 136 TRAct नं० सन्

तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/2/22	प्रार्थी ने पेश किया। दर्ज रजि० हो। DR अलवर से रिपोर्ट ली जावे। पत्रावली दिनांक 11.3.22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अलवर (राज०)	
11.3.22	पत्रावली पेश। P0 साहब बाहर तशरीफ रखते हैं। दि० 20.4.22 को पेश हो।	
20/4/22	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 19/5/22 को पेश हो। रीडर	
19/5/22	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 2.7.22 को पेश हो। रीडर	
2.7.22	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 23/8/22 को पेश हो। रीडर	
23/8/22	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 7.1.22 को पेश हो। रीडर	
7/1	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 16-1-23 को पेश हो। रीडर	

तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
16/1/23	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 8/5/23 को पेश हो। रीडर
8-5-23	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 3-8-23 को पेश हो। रीडर
3-8-23	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 23-10-23 को पेश हो। रीडर
23-10-23	वकील वादी/वकुलाय उप०। बार का कार्य स्थगन होने के कारण पत्रावली वास्ते..... दिनांक 5-12-23 .....को पेश हो।
5-12-23	वकील वादी/वकुलाय उप०। बार का कार्य स्थगन होने के कारण पत्रावली वास्ते..... दिनांक 13-2-24 .....को पेश हो।
13.2.24	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों व्यस्त है। दिनांक 19-2-24 को पेश हो। रीडर
19.2.24	वकील वादी/वकुलाय उप०। बार का कार्य स्थगन होने के कारण पत्रावली वास्ते..... दिनांक 26-2-24 .....को पेश हो।
26.2.24	वकील वादी/वकुलाय उप०। बार का कार्य स्थगन होने के कारण पत्रावली वास्ते..... दिनांक 13-3-24 .....को पेश हो।

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
13.3.24 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 22-5-24 को पेश हो। रीडर	
22.5.24 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 31.7.24 को पेश हो।	
31.7.24 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 27-8-24 को पेश हो।	
27-8-24 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 11.9.24 को पेश हो। रीडर	
11.9.24 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 24-9-24 को पेश हो। रीडर	
24.9.24 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 15-10-24 को पेश हो। रीडर	
15-10-24 वकील वादी/वकुलाय उप०। बार का कार्य स्थगन होने के कारण पत्रावली वास्ते दिनांक 22-10-24 को पेश हो।	
22-10-24 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 6-11-24 को पेश हो।	

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	...पेश हुई। उभय पक्ष उप०। ...अधीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों ...व्यस्त है। दिनांक....26-11-24 ...को पेश हो।
26-11-24	पत्रावली पेश हुई प्रार्थी/वकील प्रार्थी उपस्थित है तहसीलदार अलवर रिपोर्ट प्राप्त, बहस सुनी गई निर्णय पृथक से लिखवाया, जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया निर्णय की प्रति पृथक से तहसीलदार अलवर को भिजवाई जाकर पत्रावली नम्बर से कम हो बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे।
	उपखण्ड अधिकारी अलवर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर, जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी –श्री प्रतिक जुईकर (I.A.S.)

मु.नं.	तारीख दायर	किस्म	तारीख निर्णय
01/15	23.02.2022	136 LR Act	26.11.2024

बउनवान

कासिम खॉ पुत्र श्री असरफ खॉ जाति मेव निवासी ग्राम नंगला श्याम तहसील नगर जिला तपुर

प्रार्थी

(बनाम)

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) अलवर तहसील व जिला अलवर स्थान

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एल.आर.एक्ट तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नं० साबिक 331 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा सके हाल खसरा नं0 405 रकबा 0.97 है० वाके ग्राम मूगंस्का तहसील व जिला अलवर में थत है। उक्त साबिक खसरा नं० का मूल खातेदार माले खॉ व वजीरा व करीम बक्श पुत्र ले खॉ निवासी ग्राम मूगंस्का तहसील व जिला अलवर के खातेदार थे। जिन्होने उक्त राजी को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिंनाक 29.06.1989 को 63 व्यक्तियों को विक्रय की थी। र उन 63 व्यक्तियों द्वारा कय सूदा भूमि को अपने अपने हिस्से अनुसार प्लॉट बना लिए थे। न 63 खरीदारों में कम संख्या 50 पर श्रीमान मूंशी राम पुत्र श्री भगवान सहाय उम्र करीब 20 ाल निवासी ग्राम खेडली वीरान तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर का नाम दर्ज है। और क्त रजिस्टर्ड वैयनामें के आधार पर साबिक खसरा नं0 331 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा का ामान्तरण सं0 573 किस्म बय के आधार पर 63 खरीदारों के नाम दर्ज हो गया था। जो ाजस्व रिकार्ड जामाबन्दी सम्मत 2047 के खाता संख्या 27 पर दर्ज है। उसमें भी क्रम संख्या 0 पर मुंशी राम पुत्र भगवान सहाय का नाम खरीददार खातेदार दर्ज है।

राजस्व विभाग द्वारा सम्वत् 2051 में वक्त बंदोबस्त आराजी खसरा नं. साबिक 331 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा के नये नं० आराजी खसरा नं0 405 रकबा 0.97 है० कायम किये जिसके मिलान क्षेत्रफल प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। ओर राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा लिपिकीय भूल के कारण हाल खसरा नं0 405 रकबा 0.97 है0 में मिसल

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Scanned with OKEN Scanner

दोबस्त 2051 के खाता संख्या 26 में मुंशी राम पुत्र भगवान सहाय का नाम खरीददार तेदार सहवन लिपिकीय भूल के कारण दर्ज होने से रह गया, जो कानूनन आवश्यक था, राजस्व रिकार्ड के आधार पर दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

खरीददार खातेदार मुंशी राम पुत्र भगवान सहाय से उसक हिस्से के रकबे को मुंशी द्वारा जरिये इकरारनामा दिंनाक 19.07.89 को राजकुमार पुत्र श्री चुन्नीलाल शर्मा निवासी म मिलकपुर तहसील रामगढ जिला अलवर को विक्रय कर दिया गया। और इसके बाद जकुमार द्वारा उक्त रकबे को दिनाक 04.11.97 को जरिये इकारारनामा बय श्रीमती कृष्णा नी पत्नी श्री भरतलाल शर्मा निवासी कठूमर जिला अलवर राजस्थान को विक्रय कर दिया र उक्त रकबे (प्लॉट) पर कब्जा दे दिया, इसके बाद उक्त रकबे (प्लॉट) को श्रीमती कृष्णा नी द्वारा जरिये इकरारनामा बय दिंनाक 20.12.2017 को प्रार्थी कासिम खौं पुत्र श्री असरफ ं जाति मेव निवासी ग्राम नंगला श्याम तहसील नगर जिला भरतपुर राजस्थान को विक्रय र दिया, और तब से ही प्रार्थी उक्त प्लॉट का मालिक काबिज है।

उपरोक्त आराजी खसरा नं० साबिक 331 रकबा 3 बीघा 17 बिश्वा जिसके हाल सरा नं0 405 रकबा 0.97 है0 वाके ग्राम मूगंस्का तहसील व जिला अलवर में से खरीददार तेदार मुंशी राम पुत्र भगवान सहाय का नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जाना वश्यक है। प्रार्थी को उक्त लिपिकीय भूल की जानकारी राजस्थान सरकार के प्रशासन हरो के संग चलाए जा रहे अभियान में पट्टे के लिए आवेदन करने पर हुई। इसके बाद प्रार्थी रा सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड प्राप्त किया गया और प्रार्थी नेकनियति से उक्त प्रार्थना पत्र न्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन है, कि राजस्व कार्ड में हुई लिपिकीय भूल को दुरूस्त करने के आदेश सादिर फरमाये जावे।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन कि आराजी खसरा नं० साबिक 331 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा जिसके हाल खसरा नं0 405 कबा 0.97 है० वाके ग्राम मूगंस्का तहसील व जिला अलवर में राजस्व विभाग द्वारा दोराने दोबस्त की गई लिपिकीय भूल मुंशी राम पुत्र भगवान सहाय का नाम राजस्व रिकार्ड में गत माबन्दी सम्वत् 2047 के अनुसार दुरूस्त किये जाने का आदेश सादिर फरमाये जावे

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार अलवर से रिपोर्ट बावत हसीलदार को पत्र जारी किया गया प्रकरण मे प्राप्त रिपोर्ट भू0अ0निरीक्षक दिनॉक 19.05. 022 अनुसार आराजी खसरा नं० साबिक 331 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा जिसके हाल खसरा ं0 405 रकबा 0.97 है० वाके ग्राम मूगंस्का तहसील व जिला अलवर में स्थित है। उक्त ाबिक खसरा नं० का मूल खातेदार माले खौं व वजीरा व करीम बक्श पुत्र माले खाँ निवासी ग्राम मूगंस्का तहसील व जिला अलवर के खातेदार थे। जिन्होने उक्त आराजी को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिंनाक 29.06.1989 को 63 व्यक्तियों को विक्रय की थी। और उन 63 व्यक्तियों द्वारा कय सूदा भूमि को अपने अपने हिस्से अनुसार प्लॉट बना लिए थे। उन 63

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Scanned with OKEN Scanner

दारों में कम संख्या 50 पर श्रीमान मूंशी राम पुत्र श्री भगवान सहाय उम्र करीब 20 साल सी ग्राम खेडली वीरान तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर का नाम दर्ज है। और उक्त स्टर्ड वैयनामें के आधार पर साबिक खसरा नं0 331 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा का न्तरण सं0 573 किस्म बय के आधार पर 63 खरीदारों के नाम दर्ज हो गया था। जो स्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्मत 2047 के खाता संख्या 27 पर दर्ज है। उसमें भी क्रम संख्या पर मुंशी राम पुत्र भगवान सहाय का नाम खरीददार खातेदार दर्ज है।

राजस्व विभाग द्वारा सम्वत् 2051 में वक्त बंदोबस्त आराजी खसरा नं. साबिक 331 बा 3 बीघा 17 बिस्वा के नये नं० आराजी खसरा नं0 405 रकबा 0.97 है० कायम किये सके मिलान क्षेत्रफल प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। ओर राजस्व विभाग के कर्मचारियों ा लिपिकीय भूल के कारण हाल खसरा नं0 405 रकबा 0.97 है0 में मिसल बंदोबस्त 2051 खाता संख्या 26 में मुंशी राम पुत्र भगवान सहाय का नाम खरीददार खातेदार सहवन पिकीय भूल के कारण दर्ज होने से रह गया, जो कानूनन आवश्यक था, जो राजस्व रिकार्ड आधार पर दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

खरीददार खातेदार मुंशी राम पुत्र भगवान सहाय से उसके हिस्से के रकबे को मुंशी म द्वारा जरिये इकरारनामा दिंनाक 19.07.89 को राजकुमार पुत्र श्री चुन्नीलाल शर्मा निवासी ाम मिलकपुर तहसील रामगढ जिला अलवर को विक्रय कर दिया गया। और इसके बाद जकुमार द्वारा उक्त रकबे को दिनाक 04.11.97 को जरिये इकरारनामा बय श्रीमती कृष्णा ानी पत्नी श्री भरतलाल शर्मा निवासी कठूमर जिला अलवर राजस्थान को विक्रय कर दिया और उक्त रकबे (प्लॉट) पर कब्जा दे दिया, इसके बाद उक्त रकबे (प्लॉट) को श्रीमती कृष्णा ानी द्वारा जरिये इकरारनामा बय दिंनाक 20.12.2017 को प्रार्थी कासिम खॉ पुत्र श्री असरफ ख़ॉ जाति मेव निवासी ग्राम नंगला श्याम तहसील नगर जिला भरतपुर राजस्थान को विक्रय र दिया, और तब से ही प्रार्थी उक्त प्लॉट का मालिक काबिज है। राजस्व रिकार्ड अवलोकन े लिए सभी दस्तावेजो की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न है

उपरोक्त आराजी खसरा नं० साबिक 331 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा जिसके हाल खसरा नं0 405 रकबा 0.97 है0 वाके ग्राम मूगंस्का तहसील व जिला अलवर में से खरीददार ातेदार मुंशी राम पुत्र भगवान सहाय का नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जाना ावश्यक है प्रार्थी को उक्त लिपिकीय भूल की जानकारी राजस्थान सरकार के प्रशासन शहरो े संग चलाए जा रहे अभियान में पट्टे के लिए आवेदन करने पर हुई। इसके बाद प्रार्थी द्वारा म्पूर्ण राजस्व रिकार्ड प्राप्त किया गया जब उक्त जारी प्राप्त हुई है।

प्रकरण मे मात्र भू0 अ0 निरीक्षक स्तर की रिपोर्ट ही प्राप्त हुई थी तहसीलदार की रिपोर्ट अप्राप्त होने पर तहसीलदार अलवर से रिपोर्ट प्राप्त की गई तहसीलदार अलवर ने अपने पत्रॉक:भू0अ0/2024/5433 दिनॉक 31–7–2024 मे अवगत कराया कि मुताबिक जमाबन्दी के खसरा नम्बर 405 रकबा 0.97 वाके ग्राम मूंगस्का में नगर विकास न्यास अलवर

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Scanned with OKEN Scanner

रिकोर्ड है प्रार्थी पूर्व राजस्व रिकोर्ड में शुध्दि करवाना चाहता है उक्त आराजी नगर
ास न्यास अलवर दर्ज रिकोर्ड है जो प्रार्थी पूर्व राजस्व रिकोर्ड में शुध्दि किया जाना
क्षित नहीं है।

प्रकरण मे प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया साथ ही प्रार्थना पत्र का नियमो के
ेक्ष्य मे अवलोकन किया गया मुताबिक पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार मुताबिक
त् 2051 में वक्त बंदोबस्त आराजी खसरा नं. साबिक 331 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा के नये
, आराजी खसरा नं0 405 रकबा 0.97 है० कायम किये खसरा नं0 405 रकबा 0.97 है0 में
ल बंदोबस्त 2051 के खाता संख्या 26 में मुंशी राम पुत्र भगवान सहाय का नाम खरीददार
तेदार सहवन लिपिकीय भूल के कारण दर्ज होने से रह गया खातेदार मुंशी राम पुत्र
वान सहाय द्वारा उसके हिस्से के रकबे को मुंशी राम द्वारा जरिये इकरारनामा दिंनाक 19.
89 को राजकुमार पुत्र श्री चुन्नीलाल शर्मा निवासी ग्राम मिलकपुर तहसील रामगढ जिला
लवर को विक्रय कर दिया गया। और इसके बाद राजकुमार द्वारा उक्त रकबे को दिनाक 04.
.97 को जरिये इकरारनामा बय श्रीमती कृष्णा रानी पत्नी श्री भरतलाल शर्मा निवासी कठूमर
ला अलवर राजस्थान को विक्रय कर दिया और उक्त रकबे (प्लॉट) पर कब्जा दे दिया,
सके बाद उक्त रकबे (प्लॉट) को श्रीमती कृष्णा रानी द्वारा जरिये इकरारनामा बय दिंनाक 20.
2.2017 को प्रार्थी कासिम खॉ पुत्र श्री असरफ खॉ जाति मेव निवासी ग्राम नंगला श्याम
हसील नगर जिला भरतपुर राजस्थान को विक्रय कर दिया प्रकरण मे गलती/भूल होना तो
ीत होती है जिस बावत प्रार्थी द्वारा धारा 136 एल0आर0एक्ट के अन्तर्गत आवेदन किया
या है परन्तु यहा यह भी नजरअन्दाज नही किया जा सकता है कि आराजी का बिना विधिक
किया अथवा विभाग का राजस्व चुकता किये बिना आराजी का अवैध रूप से हस्तांतरण
किया गया है राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर आता है साथ ही प्रार्थी द्वारा हाल
ातेदार नगर विकास न्यास अलवर एंव पूर्व के केता/विकेता को पक्षकार नही बनाया गया है
ससे प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत नही आने के
ारण आवेदन खारिज किया जाता है प्रार्थी किसी भी न्यायालय मे सम्बंधित धाराओ के
न्तर्गत वाद दायर कर रिलिफ पाने के लिये स्वतन्त्र है।

प्रतिक जुईकर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर

निर्णय आज दिनांक २७-११-२५ को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

प्रतिक जुईकर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर

Scanned with OKEN Scanner